आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या–सी0आर0एम0–36/13–14

हबीब देवान

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

27.11.2014 यह अपील वाद हबीब देवान पिता–स्व0 अली देवान सा0–महेसड़ा जनवितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत–पुरैना प्रखंड–सिकटा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज के आदेश दिनांक 19.12.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–02/92 को तत्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपील आवेदन पत्र के आलोक में निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा सितम्बर–2013 से नवम्बर–2013 में वी0पी0एल0 खाद्यान्न का नेफ्ट के माध्यम से राशि जमा नही किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री देवान के द्वारा माह–अगस्त–2013 के राशन एवं माह नवम्बर–2013 के किरासन तेल का भुगतान शुदा कूपन अभी तक जमा नही किया गया है। जनवितरण प्रणाली के विक्रेता पर यह भी आरोप है कि वे बकाया खाद्यान्न की मांग करने पर उपभोक्ताओं को केस में फसाने की धमकी देते है।

अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण दिया गया। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उनके द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न (राशन) का वितरण समय से किया जाता रहा है, परंतु राशन का आवंटन समुचित मात्रा में नही होने के कारण प्रत्येक उपभोक्ताओं को समुचित मात्रा में

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	राशन उपलब्ध नही कराया जा सका। उनके द्वारा कम आवंटन के बाद भी राशन एवं किरासन तेल का वितरण उपभोक्ताओं के सहमति से सभी उपभोक्ताओं के बीच किया गया है। जनवितरण प्रणाली विक्रेता का कहना है कि उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज को स्पष्टीकरण दिया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उपरोक्त विवेचित तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध संबंधित कागजातों के अवलोकन तथा गहन विवेचना से स्पष्ट होता है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किसी तरह की कालाबाजारी नही की गयी है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 19.12.2013 को जनवितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा की गयी गलती के समानुपातिक नही होने के कारण रद्द किया जाता है तथा जनवितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या–02/92 को एक अवसर देते हुए पुनर्जीवित किया जाता है। साथ ही अपीलकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में यदि उनके द्वारा खाद्यान्न का उठाव समय से नही किया जाता है तथा वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाती है तो उनके जनवितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा विधि सम्मत तरीके से रदद् किया जा सकता है। साथ ही उनका उपभोक्ताओं के प्रति व्यवहार भी उचित रहना चाहिए। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 27/11/14 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 27/11/14	